



2026:AHC:126557

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 19062/2026

तहसीन @ कलवा

.....आवेदक(कों)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रतिवादी(यों)

आवेदक(कों) के अधिवक्ता : मनोज कुमार त्रिपाठी, विनोद कुमार त्रिपाठी
प्रतिवादी(यों) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 5

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. को सुना और अभिलेख पर रखे गए दस्तावेजों का भी परिशीलन किया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक की ओर से मामला अपराध/एफआईआर संख्या 200/2026, धारा 3/5/8 गौ वध अधिनियम के तहत, पुलिस स्टेशन चांदपुर, जिला बिजनौर में दायर की गई है, जिसमें उसे जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है।
3. आवेदक के अधिवक्ता ने बताया कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 17.04.2026 से जेल में है। उन्होंने आगे बताया कि एफआईआर अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज की गई थी और बाद में एक फर्जी पुलिस मुठभेड़ में आवेदक-आरोपी पकड़ा गया और पुलिस के समक्ष दिए गए इकबालिया बयान के आधार पर उसे इस मामले में फंसाया गया। उन्होंने यह भी बताया कि पुलिस मुठभेड़ के मामले में आवेदक-आरोपी को विचारण न्यायालय द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। उन्होंने आगे बताया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उन्होंने यह भी बताया कि सह-आरोपी वसीम को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 18787/2026 में दिनांक 05.06.2026 को पारित आदेश के माध्यम से पहले ही जमानत दी जा चुकी है। इन परिस्थितियों में आवेदक भी जमानत का हकदार है। जमानत पर रिहा होने की स्थिति में वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।

4. बहस के दौरान, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय के समक्ष सह-आरोपी वसीम के जमानत आदेश की एक छायाप्रति प्रस्तुत की, जिसे अभिलेख में ले लिया गया है।
5. विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक को जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया है, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया है कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपियों को पहले ही जमानत दी जा चुकी है।
6. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता और ए.जी.ए. द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख तथा सह-आरोपी के आदेश का अवलोकन करने के बाद, न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह जमानत के लिए उपयुक्त मामला है। समानता के आधार पर जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।
7. उपर्युक्त मामले में अपराध में संलिप्त आवेदक **तहसीन उर्फ कलवा** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए।
 - (i) आवेदक किसी भी ऐसे अपराध को न तो करेगा और न ही उसमें भाग लेगा जो उस अपराध के समान हो जिसका उस पर आरोप लगाया गया है या जिसके किए जाने का उस पर संदेह है।
 - (ii) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा जिससे उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (iii) आवेदक को यह वचन देना होगा कि जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों, तो वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा।

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

(iv) आवेदक को प्रत्येक निर्धारित तिथि पर स्वयं या अपने वकील के माध्यम से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि वह पर्याप्त कारण बताए बिना अनुपस्थित रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध धारा 229-ए आईपीसी (धारा 269 बीएनएस के समतुल्य) के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(v) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है, तो उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए धारा 82 सीआरपीसी के तहत उद्घोषणा जारी की जा सकती है, और यदि आवेदक ऐसी उद्घोषणा में निर्धारित तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है, तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ कानून के अनुसार धारा 174-ए आईपीसी (संबंधित धारा 209 बीएनएस) के तहत कार्यवाही शुरू करेगा।

(vi) आवेदक को मुकदमे की सुनवाई शुरू होने, आरोप तय होने और धारा 313 सीआरपीसी (धारा 351 बीएनएसएस के अनुरूप) के तहत बयान दर्ज करने के लिए निर्धारित तिथियों पर स्वयं विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहना होगा। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या बिना पर्याप्त कारण के है, तो विचारण न्यायालय ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकता है।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, जमानत रद्द करने का आधार होगा।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

9 जून, 2026

ए.एन. मिश्रा

अस्वीकरण : - अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।